

Regarding issue of advisory to local authorities for inviting elected representatives in meeting related to State Government Schemes

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : महोदय, मैं वाराणसी जनपद से आता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र चन्दौली है। मैं अपने को और वहाँ के लोग खुद को भाग्यशाली समझते थे कि वाराणसी जनपद का हमारा सांसद इस देश का प्रधान मंत्री है।

माननीय अध्यक्ष : आप केवल अपना विषय रखिए।

? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर, हम विषय ही रख रहे हैं। हमें लगता था कि विकास का कुछ भाग हम लोगों को भी मिलेगा, लेकिन हमें निराशा मिलती है, क्योंकि वहाँ के अधिकारी आज भी सत्ता के नशे में चूर हैं। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी योजनाएं हों, अगर वहाँ कोई बैठक होती है, तो न हमारे पास उसकी सूचना आती है और न ही हमें उसकी कार्रवाई के बारे में बताया जाता है। उसका दुष्परिणाम यह है, जैसे किसानों की जो छोटी-छोटी समस्याएं हैं, अगर हम लोग फोन करते हैं तो सिंचाई विभाग बिजली विभाग पर टाल देता है। उसके बाद बिजली विभाग भी किसी और पर टाल देता है।

माननीय अध्यक्ष : ओके। यह राज्य का विषय है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर, आप मेरा निवेदन तो सुन लीजिए। मेरा निवेदन यह है कि आपकी तरफ से एक एडवाइजरी जानी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। मैंने भी संविधान की कसम खाई है। मुझसे ऐसी कौन-सी गोपनीयता भंग होती है, जो मुझे मीटिंग की सूचना नहीं भेजी जाती है और न ही मुझे बुलाया जाता है। आप एक और घटना के बारे में सुन लीजिए। ? (व्यवधान)